

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 2143/2026

Chiman Singh S/o Late Sh. Likhma Ram Ji, Aged About 65 Years,
R/o Mayali Mandawattan, Mandore, Jodhpur.

-----Petitioner

Versus

1. Smt. Bhanwari Devi W/o Late Sh. Likhma Ram Ji, R/o Mayali Mandawattan, Mandore, Jodhpur.
2. Smt. Indra Devi W/o Sh. Yudhister, D/o Late Sh. Likhma Ram, R/o Near Bhatiyon Ka Bera Chainpura, Punjala Jodhpur.
3. Land Holder, Through Tehsildar Jodhpur

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhupat Singh Jodha
For Respondent(s)	:	Mr. Om Prakash Joshi Mr. Karan Joshi

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

06/05/2026

प्रार्थनापत्र संख्या 01/2026 पूर्व में दिनांक 07.04.2026 को निस्तारित किया जा चुका है तथा उसकी पालना में संशोधित शीर्षक भी प्रस्तुत किया जा चुका है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आयन्दा उक्त प्रार्थनापत्र दैनिक वाद सूची में दर्शित नहीं किया जावे।

यह याचिका याची-वादी की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उसका प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14(3) सीपीसी अस्वीकार किया गया है।

सुना गया।

याची-वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसके द्वारा मूल वाद सम्पत्ति के विभाजन का प्रतिवादी क्रम-1 भंवरी देवी, जो उसकी माता है तथा प्रतिवादी क्रम-2 इन्द्रा देवी, जो उसकी बहिन है, के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। भंवरी देवी की

दौराने वाद मृत्यु हो चुकी है। उनका तर्क है कि वादी और प्रतिवादी क्रम-2 के पिता लिखमाराम, जो ठेकेदारी का कार्य करते थे और संयुक्त आय से ही वादग्रस्त सम्पत्ति कय की गई तथा इसी कारण इस सम्पत्ति में उसका भी हिस्सा था। इसी के बंटवारे हेतु उसने यह वाद प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि वादी के पिता लिखमाराम ने अपने भाई अर्जुन सिंह को यह कहा था कि वे अपने पुत्र चिमनसिंह के नाम पर उक्त जमीन का 1/2 हिस्सा ले रहे हैं, जब वह बालिग हो जायेगा, तब भूमि का पंजीबद्ध विक्रयपत्र उसके नाम करा दिया जायेगा और फिलहाल वह अपनी पत्नी भंवरी देवी के नाम इसका बेचाननामा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वादी के पिता और अर्जुन सिंह के मध्य हुई इस बातचीत का एकमात्र साक्षी अर्जुन सिंह है और उसने राजस्व वाद में जवाबदावा व एक शपथपत्र पेश किया है, जो उक्त अभिवचनों को प्रमाणित करने के संबंध में सुसंगत है तथा उन्हीं को अभिलेख पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, जो विचारण न्यायालय ने गलत रूप से निरस्त कर दिया। उनका तर्क है कि उक्त प्रार्थनापत्र प्रतिवादी की साक्ष्य शुरू होने से पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। अतः रिट याचिका स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश अपास्त किया जावे और आदेश 07 नियम 14(3) सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जावे।

इसके विपरीत अयाची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता और अनुचितता नहीं है। उक्त वाद वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया गया था और जिस जवाबदावे व शपथपत्र को अभिलेख पर प्रार्थनापत्र के माध्यम से लेना चाहा गया है, वे वर्ष 2014 के हैं। पूर्व में इन्हें प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण वादी की ओर से दर्शित नहीं किया गया है और अब किस प्रकार से उसे उक्त दस्तावेजों की जानकारी हुई या दस्तावेज उसके संज्ञान में आये, इस संबंध में प्रार्थनापत्र में कोई तथ्य अंकित नहीं है। विवादित सम्पत्ति की वसीयत लिखमाराम ने अपनी पत्नी भंवरी देवी के नाम कर दी और भंवरी देवी ने अपनी पुत्री प्रतिवादी क्रम-2 इन्द्रा देवी के नाम कर दी है। उक्त वसीयतों को निरस्त करने का कोई अनुतोष वादी द्वारा नहीं चाहा गया है। उनका यह भी तर्क है कि गवाह अर्जुन सिंह जीवित है। दस्तावेजात्, जिन्हें अभिलेख पर लेना चाहा गया है, उनकी कोई संबद्धता नहीं है। वादी

का प्रार्थनापत्र निरस्त करने संबंधी आलौच्य आदेश सही है। अतः रिट याचिका निरस्त की जावे।

उभय पक्षों के तर्क-वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। यह याचिका याची-वादी ने विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 14 सीपीसी का प्रार्थनापत्र निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांकित 13.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से दो दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने की प्रार्थना की गई है, जो एक अन्य मामले में प्रस्तुत अर्जुन सिंह का शपथपत्र और उसका वादोत्तर है। तथाकथित वादोत्तर व शपथपत्र वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, जबकि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी इसके लगभग 11 वर्षों पश्चात् दिसम्बर 2025 में प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थनापत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि पूर्व में उक्त दस्तावेज उसके अधिकार व स्वामित्व (power and possession) में नहीं थे। जिस व्यक्ति अर्जुन सिंह का शपथपत्र और जवाबदावा बताया गया है, वह अर्जुन सिंह याची-वादी का चाचा है, परन्तु उसे याची-वादी द्वारा अपनी ओर से तथाकथित तथ्य प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है और न ही साक्ष्य सूची में उसका नाम ही दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सीपीसी केवल प्रकरण को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। अतः प्रार्थनापत्र अस्वीकार करने संबंधी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.01.2026 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। याचिका निरस्तनीय है।

परिणामतः याची-वादी की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका निरस्त की जाती है। तदनुसार विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई हो, तो निरस्त किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J